

कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2017

1120

दिनांक:- 21/7/17

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2017 वीं बैठक दिनांक 19.07.2017 को अपरान्ह 12.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1	-	भवन मानचित्र समिति (बीपी) की बैठक 4/2017 वीं बैठक दिनांक 11.05.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन बाबत।	भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 4/2017 वीं बैठक दिनांक 11.05.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
2	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर एम्स व काजरी परिसर के भूखण्ड संख्या 08 क्षेत्रफल 34.83 वर्गमीटर पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा के सम्बन्ध में। प्रार्थी :- जितेन्द्र परिहार पुत्र श्री भीकाराम एवं श्री अतुल सांखला पुत्र श्री सांवल सिंह।	एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्रकर्ण में प्रार्थी द्वारा बेसमेन्ट एवं भूतल + 1 मंजिल हेतु आवेदन किया गया है तथा कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के पीछे की ओर बाउण्ड्री से लगभग 3 फीट की दूरी पर भूतल से लगभग 5 फीट नीचे पीएचईडी की पाईप लाईन निकलती है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में भूखण्ड की पीछे की सीमा से 5 फीट भूमि छोड़कर बेसमेन्ट प्रस्तावित किया गया है। अतः समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया कि:- 1. भवन में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। 2. जोधपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम 2013 के बिन्दु संख्या 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित शुल्क लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने व समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने व समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
3	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 66/2, 66/105 व 628/65 के भूखण्ड क्षेत्रफल 25885.71 वर्ग मीटर पर गुरुहाउसिंग (आवसीय बहुमंजिला प्लैट्स) में अतिरिक्त ऊंचाई स्वीकृत करने बाबत। प्रार्थी :- मैसर्स वीतराग बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि:- 1. प्रकरण में पूर्व में दिनांक 23.08.13 को भवन निर्माण स्वीकृती अधिकतम् (S+13) 42 मी. हेतु जारी की गयी थी। 2. भूखण्ड का क्षेत्रफल 25885.71 वर्ग मीटर होने के कारण अफॉडेबल हाऊसिंग पॉलिसी के अनुसार EWS/LIG का प्रावधान रखते हुए मानचित्र जारी किये गये थे। 3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2015 को संशोधित मानचित्र प्रेषित किये गये, जिसमें (S+16) 51 मी. की ऊंचाई तक की स्वीकृती चाही गयी थी। जोधपुर भवन विनियम, 2013 के अनुसार 40 मी. से अधिक ऊंचाई होने पर राज्य सरकार की अनुमति अपेक्षित होने के कारण निदेशक आयोजना के पत्र दिनांक 29.12.15 के द्वारा प्रकरण नगरीय विकास विभाग को प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के क्रम में संयुक्त शासन सचिव -तृतीय के पत्र दिनांक 19.01.16 के द्वारा चार बिन्दुओं पर सुचना चाही गयी, जो आयुक्त (जोधपुर विकास प्राधिकरण) के पत्र दिनांक 21.03.16 द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त पत्र के क्रम में संयुक्त शासन सचिव -तृतीय के पत्र दिनांक 20.05.16 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रशनगत प्रकरण से सम्बन्धित BPC की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं एफ. ए. आर. की गणना इत्यादी



		<p style="text-align: center;">KM</p>	<p>पूर्ण विवरण प्रेषित किया जाये।</p> <p>4. प्रकरण में वीपीसी वीपी की बैठक दिनांक 22.09.16 में लिये गये निर्णय के कम में 27.10.16 को ईडब्ल्यूएस/एलआईजी निर्धारित समय में आरंभ नहीं किये जाने के कारण शास्ति हेतु जारी रु. 62,00,010/- का मांग पत्र दिनांक 27.10.2017 को जारी किया गया।</p> <p>5. प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा रिट पिटेशन संख्या 14959/2016 दायर की गई, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।</p> <p>6. आवेदक द्वारा दिनांक 07.04.17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका में अगर प्रार्थी के विरुद्ध निर्णय होता है तो प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.10.2016 के तहत डिमांड नोट की राशि जमा कराने को तैयार रहेगा।</p> <p>7. उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा शास्ति की मांग राशि 62,00,010/- रु. जमा करवायी गयी। तत्पश्चात् प्रकरण बी.पी.सी. (बी.पी.) की बैठक दिनांक 11.05.2017 में रखा जाकर निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्रों का तकनीकी परिक्षण कर आगामी बैठक में रखा जावे।</p> <p>8. संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान नौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2017 व 08.06.2017 के अनुसार मौके पर आगे के ब्लॉक सं. 1 से 4 में S+16 (51.80 मीटर) एवं पीछे के ब्लॉक सं. 5 से 11 में S+14 (45.70 मीटर) तक का निर्माण किया जा चुका है। संबंधित कनिष्ठ अभियंता की नौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु अनुमोदित भवन सात मजिल तक आरसीसी स्ट्रक्चर का निर्माण दिनांक 31.05.2017 तक पूर्ण पाया गया तथा शेष कार्य प्रगति पर पाया गया।</p> <p>9. प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.06.2017 को मौका स्थिति अनुसार संशोधित मानचित्र प्रेषित किये गये। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. प्रकरण में प्रस्तावित एफएआर जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 की तालिका 3 में अनुज्ञेय एफएआर 2.25 से अधिक है एवं भवन की प्रस्तावित उंचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः भवन विनियम के बिन्दु संख्या 9.17.13 की अनुपालना में रज्य सरकार से एफएआर एवं उंचाई के संबंध में स्वीकृति प्राप्त की जावे।</p> <p>2. पूर्व में दिनांक 23.08.2013 को मानचित्र अनुमोदित है तत्समय अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के प्रावधान अनुसार ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त उंचाई/एफएआर आदि की स्वीकृती चाही गई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रभावी है। अतः आवेदक द्वारा पूर्व अनुमोदित के अनुपात में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत गणना की है एवं शेष नवीन प्रस्तावित एफएआर हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 अनुसार गणना की है। अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में जारी मानचित्रों में तदसमयानुसार वर्तमान में प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अनुसार ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों का प्रावधान किया जावे।</p> <p>3. प्रकरण में पूर्व स्वीकृती (S+13) हेतु पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है एवं वर्तमान प्रस्ताव अनुसार S+16 हेतु पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित है। अतः प्रस्ताव</p>
--	--	---------------------------------------	---

			<p>अनुसार S+16 हेतु पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त की जावे।</p> <p>4. वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2017 व 08.06.2017 के अनुसार मौके पर आगे के ब्लॉक सं. 1 से 4 में S+16 (51.80 मीटर) एवं पीछे के ब्लॉक सं. 5 से 11 में S+14 (45.70 मीटर) तक का निर्माण किया जा चुका है, जो कि अनुमोदित उंचाई S+13 से कमशः 3 व 1 मंजिल अधिक है, व बिना स्वीकृती निर्माण की श्रेणी में आता है। जिस पर नियमानुसार शास्ति ली जावे।</p> <p>5. प्रार्थी द्वारा S+16 (51.00 मीटर) हेतु अग्नि सुरक्षा अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि मौके पर उंचाई S+16 (51.80 मीटर) है। अतः संशोधित अग्नि सुरक्षा अनापत्ति पत्र लिया जावे।</p> <p>6. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जाकर रसीद प्रस्तुत की जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार प्रकरण में 2.25 से अधिक एफ. ए. आर. व अतिरिक्त उंचाई के सम्बन्ध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् व समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने व समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
4	पश्चिम	<p>लधु उधोग (मिनरल वाटर प्लान्ट) प्रयोजनार्थ हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत्।</p> <p>राजस्व ग्राम बागा के खसरा नं. 622 के एकल भूखण्ड, क्षेत्रफल 1376.00 वर्गमीटर पर भवन निर्माण स्वीकृती।</p> <p>प्रार्थी :- श्री भंवर लाल भाटी</p>	<p>एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 24.06.16 में रखकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया था</p> <p>"नगर विकास विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.10 (193) यूडीएच/3/2009/पार्ट-द्वितीय दिनांक 20.06.16 के अनुसार रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में औद्योगिक भवनों हेतु भवन मानचित्र रीको के प्रचलित नियमों/विनियमों के अनुसार अनुमोदित किये जा सकने के निर्देश प्राप्त होने के कारण प्राधिकरण के पत्रांक 470 दिनांक 29.07.2016 द्वारा रीको के प्रचलित भवन विनियम/उपविनियम/परिपत्रों की प्रति प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया। उपरोक्तानुसार रीको के प्रचलित भवन विनियम/उपविनियम/परिपत्रों की प्रतियां प्राप्त होने पर ही प्रकरण में तदनुसार अग्रिम की जा सकेगी।</p> <p>प्रश्नगत भूखण्ड पर मौका रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा सडक क्षेत्र में किये गये अनाधिकृत निर्माण को आगामी 15 दिवस के भीतर हटाया जाकर सूचित करें।"</p> <p>उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को पत्रांक 1180 दिनांक 16.09.17 द्वारा सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.01.2017 को सडक सीमा में स्थित निर्माण को हटाकर पत्र प्रस्तुत किया।</p> <p>अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नांकित शर्तों के साथ लधु उधोग (मिनरल वाटर प्लान्ट) प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जाकर रसीद प्रस्तुत की जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने व समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने व समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात लधु उधोग (मिनरल वाटर प्लान्ट) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
5	पूर्व	<p>इन्डो कान्टीनेन्टल होटल्स एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड जरिये मान सिंह होटल्स एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड द्वारा राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा</p>	<p>एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि:-</p> <p>प्रकरण में पूर्व में दिनांक 13.05.2009 को प्रश्नगत भूमि पर मोटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की</p>

संख्या 53 पर मोटल्स हेतु आवेदित भूखण्ड पर पूर्व में अनुमोदित भवन में किए गए नियमितिकरण व अतिरिक्त निर्माण स्वीकृति हेतु ।
प्रार्थी :- जरिये मान सिंह होटल्स एण्ड रिसोर्ट लिमिटेड

गई थी तथा दिनांक 03.02.2010 को पुनः पूर्व में अनुमोदित भवन मानचित्र में संशोधन कर अपरोच सड़क का मार्गाधिकार 160 फीट दर्शाते हुए पुनः भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा मौके पर भवन निर्मित कर मानचित्र प्रस्तुत करते हुए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट हेतु आवेदन किया गया तथा दिनांक 03.09.2014 को अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार पीछे के सेटबैक को 15 मीटर के स्थान पर 7.5 मीटर छोड़े जाने व आच्छादित क्षेत्रफल को 15 प्रतिशत के स्थान पर 15.98 प्रतिशत का मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां 2013 के प्रावधानों के अनुरूप शास्ति ली जाकर नियमितिकरण करते हुए अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया गया।

वर्तमान में प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.02.2017 को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूखण्ड पर अतिरिक्त निर्माण (पूर्व अनुमोदित भवन पर अतिरिक्त एक मंजिल व अतिरिक्त बिल्डिंग ब्लॉक) निर्माण चाहा गया है।

प्रकरण में दिनांक 04.05.17 को श्री यशपाल सिंह द्वारा एवं दिनांक 24.04.17 को श्री अर्जुन सिंह चम्पावत द्वारा नियम विपरित नियमितिकरण के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। साथ ही कार्यालय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र दिनांक 24.05.17 के साथ श्री अर्जुनलाल चम्पावत का शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। तीनों ही पत्रों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

उक्त शिकायतों के परिपेक्ष में पूर्व में अनुमोदित भवन मानचित्र का परीक्षण किया गया जिसमें निम्न बिन्दु सामने आए:-

1. प्रकरण में प्रश्नगत भूखण्ड के पट्टा टिलेख क्षेत्रफल 42814.33 वर्गमीटर में से 1092.96 वर्गमीटर कम करते हुए कुल 41738.33 वर्गमीटर हेतु उपायुक्त प्राधिकरण द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया था। परंतु पूर्व में दिनांक 03.09.2014 को जारी अधिवास प्रमाण पत्र के साथ जारी मानचित्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल 42814.33 वर्गमीटर मानते हुए नियमितिकरण किया गया एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया गया।
2. पूर्व में जारी अधिवास प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.14 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत भूखण्ड पर सामने की तरफ 30 मीटर तथा पार्श्व व पीछे के सेटबैक 15 मीटर रखते हुए भवन अनुमोदन किया गया था। जबकि मौके पर पीछे के सेटबैक 15 मीटर के स्थान पर 7.5 मीटर छोड़े जाने व अनुमोदित आच्छादित क्षेत्र 15 प्रतिशत से अधिक 15.98 निर्मित किये जाने को प्रतिशत का मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां 2013 के प्रावधानों के अनुरूप शास्ति ली जाकर नियमितिकरण करते हुए अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रकरण में नियमितिकृत सेटबैक को पीछे का सेटबैक मानते हुए 15 मीटर के स्थान पर 7.5 मीटर (50 प्रतिशत) का नियमितिकरण किया गया जबकि परीक्षण से यह बिंदु सामने आया है कि उक्त सेटबैक भूखण्ड का पीछे का सेटबैक नहीं है बल्कि साईड सेटबैक है, तथा मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां 2013 की तालिका (क) के बिंदु संख्या 2(अ) के अनुसार नियमानुसार अनुज्ञेय सेटबैक दूरी का 25 प्रतिशत तक ही नियमितिकरण योग्य है, जबकि पूर्व में नियमितिकरण 50 प्रतिशत तक किया गया है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.02.2017 को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूखण्ड पर अतिरिक्त निर्माण (पूर्व अनुमोदित भवन पर अतिरिक्त एक मंजिल व अतिरिक्त

			बिल्डिंग ब्लॉक) हेतु प्रस्तुत भवन मानचित्रों में आच्छादित क्षेत्र भवन विनियम-2013 की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से अधिक होने के कारण समिति द्वारा भवन विनियम-2013 अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
--	--	--	---

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण पत्रावली के पैरा 26/एन सचिव महोदय, जोविप्रा, जोधपुर एवं पत्रावली के पैरा 27/एन पर आयुक्त, जोविप्रा, जोधपुर एवं अध्यक्ष बीपीसी (बीपी) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा अनुमोदित है।

(मुकेश मिश्रा)
निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)

दिनांक:- 21/7/17

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2017

1121-1129

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियंत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2017 वीं बैठक दिनांक 19.07.2017 को अपना 12:00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री डी.के. मीणा, निदेशक (अभियांत्रिकी) , जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री डी एस ढढढा उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री मुकेश मित्तल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 8. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |
| 9. श्री सुनिल चौहान, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |
| 10. श्री इन्द्रजीत राठौड, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)